



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 07.04.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 172/2024 धारा 376AB भादवि व धारा 5M/6
पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.04.2024 को वादिनी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मौ0 जाब्लागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिनी की पुत्री के साथ गलत काम किया । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 172/2024 धारा 376AB भादवि व धारा 5M/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) SC/ST एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.04.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलीम पुत्र रफीक निवासी मौ0 जाब्लागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सलीम पुत्र रफीक निवासी मौ0 जाब्लागंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.मुख्य आरक्षी 614 सहदेव थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 2043 रोहित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.आरक्षी 1223 रजत राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट- थाना चांदपुर

दिनांक 07.04.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 157/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.04.2024 को वादी मौ0 अरशद पुत्र हामिद हसन नि0 मो0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.शाहवेज पुत्र शाहनवाज 2.शाहफेज पुत्र शाहनवाज द्वारा वादी के भतीजे के साथ गाली गलौच व मारपीट की तथा अभियुक्तगण 1.शाहवेज पुत्र शाहनवाज 2.शाहफेज पुत्र शाहनवाज 3.शहजाद पुत्र रईस 4. फरजाना पत्नी शाहनवाज नि0गण मो0



काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई मौ0 आमिल व मौ0 फेजान के साथ जान से मारने की नियत से लाठी डण्डे से मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 157/24 धारा 307/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.04.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 157/24 धारा 307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्तगण 1.शावेज पुत्र शहनवाज 2.शहजाद पुत्र रईस अहमद नि0गण मो0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1.शावेज पुत्र शहनवाज नि0 मो0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.शहजाद पुत्र रईस अहमद नि0 मो0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शावेज उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 409/14 धारा 380/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 117/19 धारा 153ए/295ए/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 157/24 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 2- का० 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
- 3- हो०गा० कुलवीर सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक- 07.04.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त योगेश कुमार पुत्र सुखवीर नि० ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पर मु०अ०सं० 91/24 धारा 60(1) आबकारी अधि० बनाम अभियुक्त योगेश कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

योगेश कुमार पुत्र सुखवीर नि० ग्राम मेदपुरा सुल्तान थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.मुख्य आरक्षी 258 राज कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 1926 राहुल कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 07.04.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

| क्र०सं० | नाम थाना | गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता |
|---------|----------|--|
| 1 | शेरकोट | अशोक पुत्र देवी सिंह नि० मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर |
| 2 | शेरकोट | तेजपाल पुत्र देवी सिंह नि० मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर |
| 3 | शेरकोट | नेमीशरण पुत्र ऋषिपाल नि० मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर |
| 4 | शेरकोट | नरेश पुत्र मोती सिंह नि० मौ० निकम्माशाह कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर |
| 5 | अफजलगढ | रोहित सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह नि० ग्राम कादराबाद थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर |
| 6 | अफजलगढ | अजीत पुत्र इन्द्रसैन नि० तरुणा स्वीट रेस्टोरेन्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर |
| 7 | अफजलगढ | नसीर पुत्र नजीर नि० ग्राम मानियावाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर |
| 8 | चांदपुर | प्रकाश पुत्र नन्हे नि० ग्राम मिर्जापुर बेला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर |



थाना शेरकोट



थाना अफजलगढ



थाना अफजलगढ



थाना चांदपुर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 07.04.2024

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त शारिक पुत्र अनीस निवासी मौ० नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 75/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम शारिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

शारिक पुत्र अनीस निवासी मौ० नौधना कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध चाकू ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु०अ०सं० 23/2021 धारा 380/411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 92/2021 धारा 379/411 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 248/2022 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 279/2022 धारा 379/411/413/413/414/420/465/34 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु०अ०सं० 282/2022 धारा 4/25 आयुध अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु०अ०सं० 585/2022 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
7. मु०अ०सं० 75/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. हे०का० 400 प्रदीप कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. हे०का० 250 रविकुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. का० 2082 बिन्टू कन्दौल थाना शेरकोट जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट-रिजर्व पुलिस लाइन

दिनांक 07.04.2024

रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, टेबिल टेनिस, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता बरेली जोन, बरेली वर्ष – 2024, का समापन।

रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर में दिनांक 05.04.2024 से 07.04.2024 तक आयोजित अन्तर्जनपदीय पुलिस वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल, टेबिल टेनिस, सेपक टकरा एवं योगा प्रतियोगिता बरेली जोन बरेली वर्ष-2024 का समापन आज श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र, मुरादाबाद महोदय द्वारा किया गया। जिसमें बरेली जोन के सभी 08 जनपदों की टीमों ने भाग लिया जिसमें कुल 150 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। कुशल निर्णायकों एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर जोनल प्रतियोगिता हेतु जनपदों से खिलाड़ियों का चयन उनकी प्रतिभा एवं कुशलता को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है :-

पुरुष वॉलीबाल:-

प्रथम वॉलीबाल का प्रथम मैच जनपद बिजनौर व मुरादाबाद के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बिजनौर की टीम ने 03-00 से विजय प्राप्त की,

पुरुष टेबल टेनिस:-

पुरुष टेबल टेनिस का फाइनल मैच जनपद अमरोहा व बरेली के बीच खेला गया, जिसमें अमरोहा ने विजय प्राप्त की।

महिला टेबल टेनिस:-

महिला टेबल टेनिस का प्रथम मैच जनपद मुरादाबाद व बरेली के बीच खेला गया, जिसमें मुरादाबाद ने विजय प्राप्त की।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 07.04.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन – 2024 के दृष्टिगत हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित ना होने के संबंध में दी गई हिदायत ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन - 2024 के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित ना होने के संबंध में चेतावनी दी गई तथा कानून व्यवस्था के अनुरूप जीवन यापन करने के लिये निर्देशित किया ।



थाना कोतवाली शहर



थाना मंडावली



थाना शिवाला कलाँ



थाना मंडावर



थाना नूरपुर



थाना बढापुर



थाना अफजलगढ



थाना नगीना देहात



थाना हल्दौर



थाना शेरकोट



थाना कोतवाली देहात



थाना धामपुर



थाना नगीना



थाना नहतौर



थाना चांदपुर



थाना स्योहारा



थाना रेहड



थाना नजीबाबाद



थाना रेहड



थाना किरतपुर